

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 अगस्त 2017—भाद्र 4, शक 1939

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. 13967-194-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि..—मध्यप्रदेश विधानसभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 अगस्त, 2017 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०१७

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, २०१७

[दिनांक २२ अगस्त, २०१७ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २६ अगस्त, २०१७ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, २०१७ है.

धारा २ का संशोधन. २. मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, २००४ (क्रमांक २० सन् २००४) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(झ क) “प्लास्टिक थैलियों” से अभिप्रेत है, वस्तुओं को ले जाने अथवा वितरण के प्रयोजन हेतु उपयोग किए जाने वाली किसी प्लास्टिक सामग्री से बनायी गयी थैलियां, किन्तु इसमें वे थैलियां सम्मिलित नहीं हैं जो पैकेजिंग के आवश्यक भाग के रूप में निर्मित होती हैं या बनती हैं, जिसमें माल को उपयोग से पूर्व सीलबंद किया जाता है:

परन्तु यह थैली जिसका उपयोग पैकेजिंग के लिए किया जाता है, यदि वह पुनः चक्रित की गयी है तो वह प्लास्टिक थैली के रूप में मानी जाएगी;”

धारा ३ का प्रतिस्थापन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :-

प्लास्टिक थैलियों के उपयोग का प्रतिषेध. “३. राज्य सरकार, यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो प्लास्टिक थैलियों या पात्रों की मोटाई को उनके उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग के लिए अधिसूचित कर सकेगी, या अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण राज्य में या राज्य के किसी भाग में प्लास्टिक थैलियों के उत्पादन, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा सकेगी.”

निरसन तथा व्यावृत्ति. ४.(१) मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अध्यादेश, २०१७ (क्रमांक १ सन् २०१७) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसित होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात अथवा की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया कार्य अथवा की गई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2017

क्र. -194-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश जैव अनाश्य अपशिष्ट (नियंत्रण) संशोधन अधिनियम, 2017 (क्रमांक 26 सन् 2017) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 OF 2017

THE MADHYA PRADESH JAIV ANAASHYA APASHISHTA (NIYANTRAN)
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2017.

[Received the assent of the Governor on the 22nd August, 2017; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extraordinary)", dated the 26th August, 2017].

An Act to amend the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashishta (Niyantaran) Adhiniyam, 2004.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-eighth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashishta (Niyantaran) Sanshodhan Adhiniyam, 2017. **Short title.**

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashishta (Niyantaran) Adhiniyam, 2004 (No. 20 of 2004) (hereinafter referred to as the principal Act), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :— **Amendment of Section 2.**

“(ia) “plastic carry bags” means bags made from any plastic material used for the purpose of carrying or dispensing commodities, but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use :

Provided that the bag which is used for packaging shall be treated as plastic carry bag, if it is re-cycled;”.

3. For Section 3 of the principal Act, the following Section shall be substituted namely :— **Substitution of Section 3.**

“ 3. The State Government may, if it consider necessary so to do in the public interest, notify the thickness of plastic carry bags or containers, for the production, storage, transportation, sale and use thereof, or by a notifaciton, completely ban the production, storage, transportation, sale and use of plastic carry bags in the entire State or any part of the State.”. **Prohibition on usage of plastic carry bags.**

4. (1) The Madhya Pradesh Jaiv Anaashya Apashishta (Niyantaran) Sanshodhan Adhyadesh, 2017 (No. 1 of 2017) is hereby repealed., **Repeal and savings.**

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed or deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.